न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 46/2018

1. लक्षमण सिह पुत्र अंगद सिह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर हाल गंगागढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

--वादी--

बनाम

अंगद सिह पुत्र मुकन्द सिह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्रीकरणपुर।
2. हरविन्द्र सिह पुत्र अंगद सिह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्रीकरणपुर।
3. वीरपाल कौर पुत्री अंगद सिह पत्नी परमजीत जाति जटसिख निवासी हॉल 1 के के तहसील पदमपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,91 ए आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 17/6/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 12/24 के मु0 नं0 5,14,15,17,23,34,35,37,36,39,54/7, 54/12,54/13 की कुल 50.325 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला मे प्रतिवादी संख्या 1 अगंद सिह के नाम 1.928 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। जिसके द्वारा इस भूमि मे से 0.506 हैक्टर भूमि पंजीकृत बैयनामा से दिनांक 20.04.2018 को गुरमीत कौर पत्नी जसवीर सिह व रमनदीप कौर पत्नी लखविन्द्र सिह को बेचान कर दी। वर्तमान मे अंगद सिह के नाम इस खाता मे 1.422 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है इसी चक की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 38/35 के मु0 नं0 23,40 की 5.061 हैक्टर नहरी भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 अगंद सिह के नाम 1.687 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इस प्रकार दोनो खातो मे अगंद सिह के नाम दर्ज 3.615 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अगंद सिह के नाम दर्ज यह भूमि अंगद सिह के दादा मित सिह के नाम जमाबंदी सम्वत 2015 ता 18 मे दर्ज थी मित सिह की मृत्यु के बाद यह भूमि अंगद सिह के पिता मुकन्द सिह के नाम दर्ज हुई। मुकन्द सिह की मृत्युके बाद यह भूमि अंगद सिह को विरास्त प्राप्त हुई जो कि पैतृक सम्पत्ति है। पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के हकदार है। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा खाता संख्या 12 के मु0 नं0 40 के किला नं0 4,7,14,17 की कुल 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि बटवारा मे दे रखी है जिस पर उसका कब्जा है। यह भूमि हिन्दू खानदान साझा खाता की पैतृक सम्पत्ति है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के हकदार है। पैतृक सम्पत्ति होने के बावजूद भी अंगद सिह के द्वारा 0.506 हैक्टर भूमि का बेचान किया जा चुका है तथा विरास्त मे प्राप्त दो प्लाटो का भी बेचान किया जा चुका है। अंगद सिह शराबी आदमी है जो अपने नशे के लिये शेष भूमि बेचान करने पर उतारू है। अंगद सिह के द्वारा दिनांक 14.04.2018 को कब्जा करने की कोशिश की जिसके संबंध मे पुलिस मे प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। वादी द्वारा अनुसूचित जाति की महिला से शादी की हुई है जिस बात को लेकर वादी के साथ अंगद सिह रजिश रखता है और धमकी देता है कि वह उसे कोई हिस्सा नही देगा तथा समस्त भूमि बेचान कर देगा। यदि उसने ऐसा किया तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये वादी दावा पेश करने का अधिकारी है। दावा से दो रोज पूर्व वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को उसके हिस्से की भूमि देने बाबत कहा तो उसने इन्कार कर दिया यही वाद कारण है। राजस्थान सरकार को जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है जो पूर्ण कोर्ट फीस मे अन्दर मियाद पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 9 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 12/24 की कुल 50.325 हैक्टर नहरी भूमि मे अंगद सिह के नाम दर्ज 1.928 हैक्टर नहरी इस चक के खाता संख्या 38/35 के कुल 5.061 हैक्टर नहरी भूमि मे अंगद सिह के नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

1.687 हैक्टर नहरी भूमि इस प्रकार कुल 3.615 हैक्टर नहरी भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा खातेदार मालिक घोषित किया जावे तथा अंगद सिह द्वारा बेचान की गई 0.506 हैक्टर नहरी भूमि उसके हिस्से मे कम की जावे एवं इस वादगत भूमि के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे और अन्य कोई अनुतोष हो तो वादी को दिलवाये जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रस्तुत राजीनामा दोनो पक्षो को पढकर सुनाया गया जो सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच राजीनामा हो चुका है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 को दावा से बतौर पक्षकार हटाना चाहते है जिसे हटाये जाने के आदेश दिये जावे। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता के द्वारा कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 वीरपाल कौर पुत्री अंगद सिह पत्नी परमजीत सिह निवासी 1 के के तहसील पदमपुर का नाम वाद पत्र से हटाये जाने के आदेश दिये गये।

दोनो पक्षो के अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि पत्रावली मे पेश राजीनामा के अनुसार वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो उन्हे कोई ऐतराज नही है।

दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनो पक्ष राजीनामा के अनुसार वाद पत्र डिक्री करवाने पर सहमत है।

राजीनामा के अनुसार वादगत भूमि चक 9 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 12/24 व खाता संख्या 38/35 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक सम्पत्ति है। सहमति से वादी को उसके हिस्से की भूमि 0.949 हैक्टर भूमि अर्थात 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि हिस्से मे आती है। दोनो पक्षकार आपसी सहमति से वादी को खाता संख्या 12/24 के मु0 नं0 5,14,15,17,23,34,35,37,38,39,54/7, 54/12,54/13 मे प्रतिवादी संख्या 1 अंगद सिह के नाम दर्ज 1.422 हैक्टर नहरी भूमि मे वादी लक्षमण को 0.949 हैक्टर भूमि अर्थात 3 बीघा 15 बिस्वा नहरी भूमि देनी तय की है जो कि घरू तौर पर मु0 नं0 15 के किला नं0 4,5,6 सालम सालम तथा किला नं0 7 मे से 0.190 हैक्टर कुल 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि दी गई है घरू राजीनामा से वादी को खाता संख्या 12/24 मे प्रतिवादी अंगद सिह के हिस्से की 1.422 हैक्टर मे से 0.949 हैक्टर नहरी भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा शेष हिस्सा 0.473 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावे।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादी का वाद पत्र राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं राजीनामा अनुसार चक 9 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 12/24 के मु0 नं0 5,14,15,17,23,34,35,37,38, 39,54/7,54/12,54/13 मे प्रतिवादी अंगद सिह के नाम दर्ज 1.422 हैक्टर नहरी भूमि वादी लक्षमण सिह को 0.949 हैक्टर अर्थात 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। इस खाता मे अंगद सिह के नाम 0.473 हैक्टर भूमि दर्ज रहेगी। **शेष खाता बदस्तूर रहेगा।** खर्चा दोनो अपना अपना वहन करेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

<u>प्रतिवादी संख्या 3 वीरपाल कौर पुत्री अंगद सिह पत्नी परमजीत सिह जाति जटसिख निवासी 1 के के तहसील पदमपुर प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है। अतः उसके हिस्सा तक की भूमि सरक्षित रखी जायेगी।</u>

पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो।

निर्णय आज दिनांक...17/6/2019..को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मेसुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.ए}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला- श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner